तारीख हुक्म	अनवान सुप्रिया बनाम सुमित्रा आदि मु.न.22/18 हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तारीख जारी हुआ
26/6/18	प्रार्थना/आवेदन पत्र इन्हें बहाल करने के उक्त बहाल प्रार्थी (वादी) के अधिवक्ता श्री मूल चन्द का निर्णय से मुझे ही मूल चन्द के निर्णय होने पर प्रार्थना पत्र 312 RTA चलाने योग्य नहीं है अतः प्रार्थना पत्र 312 RTA का खारिज किया जाता है तथा दिनांक 28/6/18 को वादी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अवकाश किया जाता है फैसले से मुताबिक पार्टी प्रार्थना निर्णय मुताबिक बहस सुनकर हो गया है। उपखण्डाधिकारी (राजस्व, भादरा (जिला-हनुमानगढ़)	